बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाई–मोतीपुर की 151.58 एकड़ भूमि पर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को "जैसा है, जहाँ है" के आधार पर हस्तांतरित करने की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत् "समृद्ध उद्योग– सशक्त बिहार" अन्तर्गत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–08.07.2026 को मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० (आई०पी०एल०) से मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि वापस लेने हेतु मो० 63,39,14,958 (तिरसठ करोड़ उनतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त निर्णय के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड के नाम से माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में मो० 63,39,14,958 (तिरसठ करोड़ उनतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रूपये की राशि दो टर्म डिपोजिट रिसिट (T.D.R.) के रूप में जमा की गयी है।

3. उक्त क्रम में इण्डियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा पत्रांक–IPL/SUGAR MILL/ MOTIPUR/2026/VS दिनांक–18.09.2026 से मोतीपुर चीनी मिल की भूमि का स्वामित्व वापस देने से संबंधित अनापत्ति की सूचना दी गयी है। गन्ना उद्योग विभाग के आदेश सं०–1818 दिनांक–16.09.2026 से मोतीपुर चीनी मिल इकाई से संबंधित मेसर्स इण्डियन पोटाश लिमिटेड के साथ निष्पादित सभी एकरारनामों को समाप्त कर, मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266.00 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि का स्वामित्व वापस ले ली गई है।

4. मोतीपुर एवं इसके आस–पास का क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त है। चीनी मिल के चालू होने पर स्थानीय किसानों को लाभ होगा। इसके फलस्वरूप फसल विविधिकरण होगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। मोतीपुर में चीनी मिल की स्थापना हेतु पुराने चीनी मिल के फैक्ट्री स्थल एवं उसके

आस–पास के कुल 115.08 एकड़ भूमि (*परिशिष्ट–1*) पर नये चीनी मिल की स्थापना की जाएगी। शेष 151.58 एकड़ भूमि (*परिशिष्ट–2*) पर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को ''जैसा है, जहाँ है'' के आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।

5. मोतीपुर चीनी मिल की भूमि के हस्तांतरण पर बिहार राज्य चीनी निगम के निदेशक पर्षद की सहमति प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम लि० को समय–समय पर उपलब्ध कराए गए ऋण के विरूद्ध उक्त भूमि के समतुल्य राशि को समायोजित की जाएगी।

6. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–28.07.2026 को मद संख्या–38 में संचिका संख्या–02/रेगु०–02–600–26/2026 के पृष्ठ–37/टि० पर प्राप्त है।

7. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जाएगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–600–26/2026–2122 पटना, दिनांक–05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी, वित्त विभाग (ई–गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के अगामी अंक में करते हुए इसकी 200 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/रेगु०–02–600–26/2026–2122 पटना, दिनांक–05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार/लेखा एवं बजट शाखा, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–02–600–26 / 2026– पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/11

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–02–600–26 / 2026– 2122 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / / विकास आयुक्त बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/11

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–02–600–26 / 2026– 2122 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/11

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / रेगु॰–02–600–26 / 2026– 2122 पटना, दिनांक– 05 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :– आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/11

सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट–1

चीनी मिल की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि

मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 एकड़ भूमि में से चीनी मिल की स्थापना हेतु अंचल अधिकारी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के भूमि संबंधी ब्यौरा (पत्रांक–3424 दिनांक–07.09.2026) तथा अंचल कार्यालय, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर से प्राप्त नजरी नक्शा के आधार पर निम्न भूमि मौजा, खेसरा तथा क्षेत्रफल के आधार पर चिन्हित की जाती है:–

1. मौजा–मोतीपुर, थाना संख्या–222

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	266	47	47.7
		45, 46	1.58
		41	2.85
		25	20.00
		27	0.97
		34	2.41
		36	0.14
		38	0.08
		29	0.21
		31	0.51
		48, 50, 51, 52	2.97
		53	0.71
		37	0.41
		35	1.40
		कुल :	81.94

2. मौजा–सुंदरसराय थाना संख्या–223

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	68	15 (P)	9.00
		9 (P)	10.14
		कुल :	19.14

3. मौजा–बखरा थाना संख्या–221

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	129	9 (P)	14.00
		कुल :	14.00

विवरणी (मौजानुसार)

क्र.सं.	मौजा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	मोतीपुर	81.94
2.	सुंदरसराय	19.14
3.	बखरा	14.00
	कुल :	115.08

(सौरभ सिन्हा)
ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

परिशिष्ट–2

उद्योग विभाग को हस्तांतरण हेतु चिन्हित भूमि की विवरणी

मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 एकड़ भूमि में से उद्योग विभाग को हस्तांतरित किये जाने वाली भूमि संबंधित ब्योरा (जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–6793, दिनांक–27.07.2026, अंचलाधिकारी मोतीपुर, मुजफ्फरपुर के जमीन संबंधी ब्योरा पत्रांक–3424, दिनांक–07.09.2026 तथा अंचल कार्यालय, मोतीपुर मुजफ्फुरपुर से प्राप्त नजरी नक्शा के अनुसार):–

1. मौजा–मोतीपुर — थाना संख्या–222

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1.	266	2	1.53	
		3	3.15	
		4	9.07	
		12	0.08	
		6	0.60	
		कुल :	14.43	

2. मौजा–बरियारपुर — थाना संख्या–204

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1.	2445	8	13.49	
		10	7.33	
		120	2.42	
		1712	6.07	
		1561	2.15	
		1528	1.12	
		1610	10.01	
		1723	1.52	
		21368	10.48	
		21364 (21264)	22.55	
		21165	14.48	
		21161	3.82	
		21178	3.03	
		21158	16.10	
		कुल :	114.57	

3. मौजा–पचरूखी — थाना संख्या–228

क्र.सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1.	1	44	8.00	
		कुल :	8.00	

4. मौजा–बखरा थाना संख्या–221

क्र. सं.	खाता	खेसरा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	129	9 (P)	14.58
		कुल :	14.58

विवरणी (मौजानुसार)

क्र.	मौजा	कुल भूमि (एकड़ में)
1.	मोतीपुर	14.43
2.	बरियारपुर	114.57
3.	पचरूखी	8.00
4.	बखरा	14.58
	कुल :	151.58

(सौरभ सिन्हा)
ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।